बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

दिनांक 14.01.2017 को सारण जिला क्षेत्र अवस्थित सबलपुर दियारा में आयोजित पतंग उत्सव के पश्चात् हुई नाव दुर्घटना की जांच हेतु गठित जाँच दल द्वारा दिए गए सुझावों के आलोक में कार्ययोजना बना कर उन्हें कार्यान्वित करने के उद्देश्य से मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के साथ दिनांक 16.05.2017 को आयोजित बैठक की कार्यवाही।

1. उपस्थिति : संलग्न।

2. मुख्य सचिव, बिहार द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए उन्हें बैठक के उद्देश्य से अवगत कराया गया। उनके द्वारा बताया गया कि जिन कार्यक्रमों में काफी सख्या में लोगों के भाग लेने की सभावना हो अथवा एक से अधिक विभागों/ जिलों के बीच समन्वय की आवश्यकता हो वहाँ संबंधित विभागों / जिलों के बीच अपेक्षित समन्वय नहीं रहने की स्थिति में बड़ी दुर्घटना/ आपदा से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः भविष्य में ऐसी कोई बड़ी दुर्घटना/ आपदा घटित न हो, इसके लिए कार्य योजना बनाकर इसे शीघ्र कार्यान्वित कराने की आवश्यकता है।

मुख्य सचिव द्वारा स्पष्ट किया गया कि राज्य में आयोजित होने वाले महत्वपूर्ण महोत्सवों को आयोजित करने की मुख्य जिम्मेदारी अलग-अलग विभागों यथा शिक्षा, पर्यटन, कला संस्कृति एवं युवा विभाग को निर्धारित की गई है। किसी महत्वपूर्ण महोत्सव अथवा कार्यक्रम होने की स्थिति में संबंधित विभागों/ जिला प्रशासन का दायित्व भी स्पष्ट रूप से निर्धारित है। किसी महत्वपूर्ण महोत्सव को आयोजित करने वाला विभाग के तीन मुख्य दायित्व हैं।

(क) बजट का आकलन कर जिला प्रशासन को राशि उपलब्ध कराना।
(ख) कार्यक्रम/ महोत्सव के आयोजन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करना।
(ग) विभिन्न विभागों/ जिलों के साथ समन्वय हेतु एक बैठक आयोजित करना।

3. सभी पदाधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के उपरान्त मुख्य सचिव, बिहार द्वारा संबंधित विभागों/ पदाधिकारियों को निम्नांकित निदेश दिए गए :-

A. गृह विभाग का दायित्व-

i. संवेदनशील कार्यक्रमों में नियमित दडाधिकारियो की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की जाय।

ii. जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के स्तर से संयुक्तादेश निर्गत हो जिसमे

[illegible] स्थल एवं कर्तव्य स्पष्ट रूप से वर्णित रहे।

- जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की संयुक्त ब्रिफिंग की जाय।
- निर्वाचन के तर्ज पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी के बीच हैंडशेक तथा मॉकड्रिल की व्यवस्था।
- कार्यक्रम आयोजन के पूर्व वरीय प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों का स्थल निरीक्षण।
- कार्यक्रम स्थल तथा जिला स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष के बीच समन्वय।
- कार्यक्रम स्थल के नियंत्रण कक्ष में निम्नांकित की व्यवस्था सुनिश्चित हो :–
    - Public Address System
    - Ambulance
    - CC TV Monitoring Screen
    - अग्निशामक यंत्र
    - प्राथमिक चिकित्सा हेतु चिकित्सक एवं औषधि
    - दंडाधिकारी / पुलिस पदाधिकारी के लिए वाकीटॉकी
    - नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभारी को नामित करना

iii. जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष को प्रत्येक दो घंटे पर कार्यक्रम स्थल नियंत्रण कक्ष से खैरितयत प्रतिवेदन का प्रेषण।

iv. यथासंभव ऐसे कार्यक्रमों की Live Streaming के माध्यम से जिला नियंत्रण कक्ष द्वारा मोनिटरिंग।

v. स्थापित नदी थाना फतुहा को कियाशील एवं क्षेत्राधिकार का निर्धारण तथा आवश्यकतानुसार नदी थानों की स्थापना।

vi. सूर्यास्त के बाद नौका परिचालन / निजी नावों के अवैध परिचालन पर रोक।

B. आपदा प्रबंधन विभाग का दायित्व –

i. राज्य आपदा संकट मोचन बल (एस0डी0आर0एफ0) को और अधिक सुदृढ और सक्षम बनाने की आवश्यकता है। इस हेतु निम्नांकित निदेश दिए गए:–

- राहत एवं बचाव कार्य के दौरान एस0डी0आर0एफ0 द्वारा प्रयुक्त वाहन / मोटर बोटों के निमित्त ईंधन की पर्याप्त व्यवस्था।
- वाकीटॉकी की उपलब्धता

- जिला स्तर से अधियाचना की एक प्रति एस0डी0आर0एफ0 के सक्षम पदाधिकारी को उपलब्ध कराना।
- स्थल पर पहुंचने पर अविलब ईंधन की आपूर्ति तथा एस0डी0आर0एफ0 कर्मियों के लिए खाने तथा ठहरने की समुचित व्यवस्था।
- मानदेय भत्ता में वृद्धि

ii. निजी नावों के परिचालन पर नियंत्रण हेतु निम्नांकित उपाय किए जाँए।

- निजी नावों के पंजीकरण हेतु प्रत्येक माह मे चार बार घाटो पर ही पंजीकरण शिविर की व्यवस्था।
- सूर्यास्त के बाद नौका परिचालन पर रोक संबधित थाना प्रभारी की जिम्मेवारी है। इसे सुनिश्चित कराया जाय।

iii. गोताखोरो के पैनल से संबंधित दिशा–निर्देश तैयार करना।

iv. भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था के संबंध में आपदा प्रबधन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करना अनिवार्य है।

v. श्री राजेन्द्र सहनी एवं उनकी टीम को सरकार से मेहनताना एवं पुरस्कार स्वरूप समानुपातिक राशि के भुगतान का आदेश।

C. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का दायित्व :–

i. [redacted]

ii. [redacted] के लिए रा[redacted]

D. परिवहन विभाग का दायित्व :–

i. संवेदनशील कार्यक्रमों के लिए परिवहन विभाग की अनुमति / अनापत्ति प्रमाण [redacted]

ii. भारतीय अन्तर्देशिय जलमार्ग प्राधिकरण से जहाज की अधियाचना सिर्फ संबधित [redacted]। अधियाचना में जहाज के उपयोग तथा [redacted]धार्य है।

iii. [redacted] घाटों पर ही [redacted] बार शिविर लगाना। निबंधन कार्य हेतु प्रत्येक [redacted] आ[redacted] कराना। निबंधित कि[redacted] परिवहन पदाधिकारी द्वारा संधारित किया जाना।

(67)

E. उर्जा विभाग

संवेदनशील कार्यक्रमों के लिए उर्जा विभाग की अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) अनिवार्य।

F. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग का दायित्व :–

विभाग के किसी भी प्रकार के विज्ञापन (प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, होडिंग इत्यादि) के लिए माननीय मुख्यमंत्री के तस्वीर के उपयोग हेतु माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय से औपचारिक अनुमति अनिवार्य।

G. पर्यटन/ कला संस्कृति एवं युवा विभाग का दायित्व :–

i. जिस कार्यक्रम में एक से ज्यादा विभाग/ जिलों के बीच समन्वय की आवश्यकता है अथवा बड़ी संख्या में लोगों की आने की संभावना है, तो मुख्य सचिव बिहार की अनुमति अनिवार्य।

ii. राज्य में आयोजित होने वाली विभिन्न महत्वपूर्ण महोत्सवों में बुलाये जाने वाले कलाकारों एवं उनके मानदेय के संबंध में यह निदेश दिया गया कि :–

(क) कैटेगरी A के महोत्सव यथा बिहार दिवस, बुद्ध महोत्सव, राजगीर महोत्सव, वैशाली महोत्सव एवं सोनपुर मेला के अवसर पर आमंत्रित कलाकारों को मानदेय के रूप में अधिकतम 10.00 लाख रू0 तथा विशेष परिस्थिति मे विभाग के स्वीकृति के उपरान्त अधिकतम 25.00 लाख रू0 दिया जा सकेगा।

(ख) कैटेगरी B के महोत्सव में जो जिला स्तर पर आयोजित होते हैं, कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा सूचिबद्ध कलाकारों को निर्धारित मानदेय पर बुलाया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय कलाकारों को भी आमंत्रित किया जा सकेगा।

अन्त में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा उपरोक्त निदेशों का शीघ्र अनुपालन/ कार्यान्वयन करने का सभी संबंधित विभागों/ पदाधिकारियों को निदेशित किया गया।

धन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/–

मुख्य सचिव,

बिहार

ज्ञापांक 1336 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 18/5/17

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग/गृह विभाग/परिवहन विभाग/पर्यटन विभाग/ कला संस्कृति एवं युवा विभाग/सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग/ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/ निदेशक, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अनिरूद्ध कुमार)

सरकार के अपर सचिव

पत्रांक –01प्रा0आ0–35 / 2009 / 2069 / आ0प्र0

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार,भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव / सचिव,
स्वास्थ्य विभाग / गृह विभाग / परिवहन विभाग / पर्यटन विभाग /
कला संस्कृति एवं युवा विभाग / सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग /
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना।
निदेशक, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, पटना।

पटना–15, दिनांक– 17/7/17

विषयः– नाव दुर्घटनाओं के रोकथाम के उद्देश्य से दिनांक–16.05.2017 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की कार्यवाही में आंशिक संशोधन करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में संबंधित विभाग के पदाधिकारियों के साथ दिनांक–16.05.2017 को आयोजित बैठक की कार्यवाही, जो विभागीय ज्ञापांक–1336 दिनांक–18.05.2017 द्वारा प्रेषित है, की कंडिका–D(i) जो निम्नवत् हैः–

"**संवेदनशील कार्यक्रमों के लिए परिवहन विभाग की अनुमति / अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) अनिवार्य।**" को निम्नानुसार पढ़ा जाय :–

" **नावों से संबंधित आदर्श नियमावली, 2011 के प्रावधानों का अनुपालन हो सके, इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा सतत् पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण का कार्य किया जाएगा।**"

(2) उपर्युक्त पर मुख्य सचिव, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

सरकार के अपर सचिव

D:\2017\Baxala sir\Yojna 2017\letter 12 7-17 4 spe. sec.docx